

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3098  
13 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं संबंधी खतरा

3098. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के खतरे को रोकने का एक तरीका सुदृढ़ शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस संबंध में की गई पहलों में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सरकार मानती है कि मानसिक स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधान के लिए मजबूत अकादमिक शोध को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करता है और इस संबंध में बहुत सी पहलें की गई हैं।

NIMHANS ने बेल्लारी जिला के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) में योगदान दिया है, जिसने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए एक मिसाल कायम की है, जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) के लिए प्रोटोटाइप के रूप में कार्य करता है। इसने प्रदर्शित किया कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना को प्रशिक्षण और व्यवस्थित कार्यान्वयन के

माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में जोड़ सकते हैं। DMHP को अब, पूरे भारत के अधिकांश जिलों में चालू कर दिया गया है।

एनएमएचपी के तृतीयक देखभाल घटक के तहत 25 उत्कृष्टतम केंद्रों को वित्त पोषित किया गया है। इन केंद्रों का मुख्य ध्यान स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं में अत्याधुनिक अनुसंधान करने पर केंद्रित हैं। इसके अलावा, NIMHANS, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (LGBRIMH) और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (CIP) जैसे प्रमुख संस्थानों में स्थापित डिजिटल अकादमियाँ में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में आये अंतराल को दूर करने के लिए अनुसंधान और अभ्यास को जोड़ता है।

सरकार ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकारों और अन्य साझेदार एजेंसियों के साथ साझेदारी में साक्ष्य आधारित मध्यस्था का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यान्वयन अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सूचित किया है कि उसने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजनाएँ शुरू की हैं। यह मानसिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर एक्स्ट्रायूरल और इंट्रायूरल अनुसंधान को भी वित्त पोषित करता है। मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान में आईसीएमआर द्वारा संचालित अतिरिक्त सहयोग इस प्रकार है:

1) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल मध्यस्था पर प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए आईसीएमआर ने NIMHANS में एक केंद्र की स्थापना की है, जो डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के समाधानों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

2) आईसीएमआर ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के संज्ञानात्मक कार्यों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एम्स दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य में न्यूरोमॉड्यूलेशन हेतु प्रौद्योगिकी अनुसंधान और उत्कृष्टतम केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आईसीएमआर द्वारा समर्थित अध्ययनों ने मानसिक बीमारियों के जैविक आधार को समझने के तरीके प्रशस्त करने के अलावा, जोखिम कारकों, मनोसामाजिक हस्तक्षेपों और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समुदाय-आधारित दृष्टिकोणों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है।

इसके अलावा, सरकार की पहल मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है:

1. शोध पहलों के परिणामों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के तहत मानसिक, तंत्रिका संबंधी और पदार्थ के उपयोग विकार (एमएनएस) पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त

किया है। यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ व्यापक देखभाल के हिस्से के रूप में मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करती हैं।

2. 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति शुरू की गई थी, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जीवन-पथ और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को शामिल करते हुए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करती है। सरकार ने अधिकार आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 को लागू किया है जो देश के सभी नागरिकों को बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देता है।

3. जागरूकता बढ़ाने के लिए, सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) से संबंधित गतिविधियों को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जोड़ा गया है, जिसमें स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो, नुक्कड़ नाटकों और दीवार चित्रों जैसे साधनों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की सामान्य जानकारी साधारण जनसमुदाय तक पहुँचे।

4. शिक्षा क्षेत्र में, मनो दर्पण और आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम भावनात्मक कल्याण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। मनो दर्पण एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है, जबकि आयुष्मान भारत स्कूली बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए शिक्षकों को स्वास्थ्य और कल्याण के राजदूत के रूप में प्रशिक्षित करता है।

5. अन्य पहलों में, सरकार ने मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने वाली 24/7 हेल्पलाइन टेली मानस की स्थापना की है। 53 टेली मानस प्रकोष्ठों की स्थापना करके, यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि देश भर में, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, व्यक्ति दूरसंचार के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सकें। आज तक, टेली मानस के माध्यम से लगभग 16.4 लाख कॉल सेवा की गई है। हाल ही में, टेली मानस ऐप का एक एंड्रॉइड संस्करण जारी किया गया।

भारत में, इस तरह के बहुआयामी दृष्टिकोण से एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने के लिए अनुसंधान, सेवा वितरण और क्षमता निर्माण को जोड़ा गया है।

\*\*\*\*\*